सरकार तथा राज्य सरकारों का इसमें कितना कितना हिस्सा होगा ; और

(ग) क्या उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का होगा अथवा किसी राज्य सरकार का ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भिण्ड (मध्य प्रदेश) से इटावा (उत्तर प्रदेश) जाने वाली सड़क के यमुना और चम्बल नदियों के ऊपर के पुलों का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रमश: अप्रैल, 1969 और जनवरी 1969 में पूरा होना है ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सलग्न है ।

(ग) चूंकि ये पुल राज्य सड़क पर पड़ते हैं, अत इन पुलों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

विवरण

चम्बल नदी के ऊपर पुल की लागत 114.20 लाख रुपये और यमुना नदी पर 48.60 लाख रुपये प्राक्कलित की जाती है । इस प्रकार इन पर 162.80 लाख रुपये की लागत आती है । केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच इन दोनों पुलों की लागत का आवंटन इस प्रकार किया गया है —

	चम्बल पुल लाख रुपए	यमुना पुल लाख रुपए
भारत सरकार	38.06	16.20
मध्य प्रदेश सरकार	38.07	—
उत्तर प्रदेश सरकार	38.07	32.40
	114.20	48.60

पंचायती राज योजना

494. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्य सरकारों ने बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज योजना को क्रियान्वित करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ख) किन राज्यों में उक्त योजना के अनुसार ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव अब तक पूरे किये जा चुके हैं और किन राज्यों में ये चुनाव अब तक नहीं हुए है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था अभी बिहार (केवल तीन जिलों को छोड़ कर), मध्य प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, केरल और नागालैण्ड में क्रियान्वित करनी रहती है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात हरियाणा, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल और बिहार के तीन जिलों में तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए विधिवत् चुनाव हो चुके हैं । आशा है कि राज्य सरकार बिहार के शेष जिलों में लगभग 6,000 पंचायतों जहां अभी चुनाव होने हैं, के लिए चुनाव हो जाने के बाद उच्च स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेगी । मध्य प्रदेश में पंचायतें दिसम्बर, 1964—जनवरी, 1965 में गठित की गई थीं ; उच्चस्तरीय संस्थायें अभी स्थापित की जानी हैं । जम्मू तथा काश्मीर और केरल में भी अभी केवल पंचायतें ही है; उच्च स्तरीय संस्थाओं के गठन के लिए अभी विधान बनाना है । नागालैण्ड में अभी कोई नियमित पंचायतीराज

संस्थाएं नहीं हैं जिनकी बलवन्तराय मेहता समिति ने सिफारिश की है; स्थापित वहां परम्परागत क्षेत्र, प्रखंड तथा जनजाति परिषदें हैं ।

Bridge on River 'Barak' on Passi-Badarpur-Agartala Road

495. Shri N. R. Laskar: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) the progress made for the construction of the road-bridge over the river 'Barak' on Passi-Badarpur-Agartala road in Assam;

(b) the tentative date when the project is likely to be completed;

(c) whether it is also a fact that the Black-topping of the aforesaid Passi-Badarpur road is not progressing according to the time schedule; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) The detailed estimates and plans for the work have been scrutnised from the technical angle and the question of according fiancial sanction to the estimates is under consideration of the Government of India.

(b) The bridge is likely to be completed in about 2 years after the award of the work.

(c) and (d). The progress has been slow because of the non-availability of local labourers and capable contractors at reasonable rates as also because of the remoteness of the work site.

Maintenance Dredging of Paradeep Port

496. Shri Chintamani Panigrahi: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether the maintenance dredging of Paradeep Port undertaken by the Calcutta Port Commissioners has been completed;

(b) if so, the total cost thereof;

(c) when this Port will have its own permanent dredger; and

(d) the amount provided for this purpose?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes.

(b) Rs. 4.32 lakhs.

(c) The permanent dredger costing Rs. 125.00 lakhs is expected to be delivered in June 1967.

(d) Provision has been made for a sum of Rs. 20 lakhs, which represents the last stage payment in respect of this acquisition, in the financial year 1967-68.

भारत-रूस नौवहन करार

497. श्री राम चरण : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल ही में रूस सरकार के साथ एक नया नौवहन करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं !

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). 6 अप्रैल, 1956 को नई दिल्ली में भारत और सोवियत रूस के बीच एक नौवहन सेवा की स्थापना के लिए भारत सरकार और सोवियत सरकार रूस के बीच एक समझौता हुआ था । इस समझौते के कार्यकरण पर समय समय पर पुनर्विचार किया जाता है और परिणामों को दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किये समझौतों (प्रोटोकोल्स) में शामिल कर लिया जाता है । अन्तिम पुनर्विचार फरवरी 1967 में किया गया था और 7 फरवरी 1967 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे । समझौते में दोनों दलों के बीच माल उठाने और भाड़ा अर्जनों में समता, चालनों की संख्या, बन्दरगाह सुविधाओं